

कार्यालय भूमि अधाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर
 | जयपुर विकास प्राधिकरण कायम |

क्रमांक: मुअअ/नवि/91

दिनांक: 7-6-91



विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण की अपने कृत्यों के निर्वहन
 व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम गोकुलपुरा
 में भूमि अधाप्ति नामांकित/पुष्परीराज नगर योजना

सूच्यमा सं०:

- | | |
|-----|--------|
| 1. | 105/88 |
| 2. | 94/88 |
| 3. | 108/88 |
| 4. | 95/88 |
| 5. | 111/88 |
| 6. | 107/88 |
| 7. | 86/88 |
| 8. | 110/88 |
| 9. | 109/88 |
| 10. | 116/88 |
| 11. | 104/88 |
| 12. | 96/88 |
| 13. | 117/88 |
| 14. | 115/88 |
| 15. | 83/88 |
| 16. | 87/88 |
| 17. | 102/88 |
| 18. | 99/88 |
| 19. | 101/88 |
| 20. | 100/88 |
| 21. | 113/88 |
| 22. | 91/88 |
| 23. | 88/88 |
| 24. | 82/88 |

अ वा ई

उपरोक्त विध्वान्तर्गत भूमि को अधाप्ति हेतु राज्य सरकार
 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अधाप्ति अधिनियम
 1894/1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1 की धारा 4(1) के तहत क्रमांक
 प-6/15/नविआ/11/87 दिनांक 6.1.1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र
 7 अगस्त, 1988 को कराया गया।

भूमि अधाप्ति अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट राज्य सरकार को
 देने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा
 भूमि अधाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट
 प्रकाशन क्रमांक प-6/15/नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान
 राजपत्र सुनाई 31, 1989 को किया गया।

भूमि अधाप्ति अधिकारी
 नगर विकास प्राधिकरण
 जयपुर

राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में अवांस्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-



क्र.सं.	खसरा नं०	खसरा नं०	आवेदक का नाम	अवांस्तिधीन भूमि का रकबा बीघा-बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	105/88	252	श्री रामेश्वर, रामनारायण, मुन्ना लाल, पुत्रान बौद्ध, बन्नीधर पुस्तकालय पुत्र राधेश्याम	06-00
2.	94/88	165	श्री भूरा पुत्र सूर्या	04-18
3.	108/88	282	श्री राम पुत्र भरता	04-02
4.	95/88	169	श्री डाल पुत्र कल्याण हि. 1/2 नारायण, कल्याण, गोपाल पुत्रान मातो हि. 1/2	01-05
5.	111/88	286 287	श्री महादेव पुत्र किशना	03-07 01-14
6.	107/88	281	श्री रामपाल, काना, हनुमान पुत्रान बक्शा	07-10
7.	86/88	90 91	श्री भूरा, मंगला पुत्रान श्यामाथ जाति बलाई	10-19
8.	108/88	284	छैतर पुत्र नाथ, सुडा पुत्र भर	04-19
9.	109/88	283	श्री सीलाल पुत्र सेवा, श्रीमति फूलो देवी पतिन सेवा	05-18
10.	116/88	297	रामदेव, काल पुत्रान चन्दा सोताराम, बाबूलाल पुत्र काना	05-10
11.	104/88	234 238	श्री उमराव, राजपाल पुत्रान नारायण	03-14
12.	96/88	183	नारायण जगदीश, राम पुत्रान नोदा, हि. 1/2 रमती पुत्र हक्मा हि. 1/4, बाबूलाल पुत्र पुष्प हि. 1/4	01-10
13.	117/88	299	श्री गणेश पुत्र डाल	03-11
14.	115/88	296	श्री सरया, तमोसर, भगवाना, सोताराम पुत्रान रामनाथ	03-09
15.	83/88	86 253 265	श्री गंगाराम, बलदेव, श्री किशन कल्याण लाल पुत्रान देव बक्शा	05-06 00-02 17-12
16.	87/88	94 97 162 163 167	श्री चन्दा पुत्र होरा हि. 1/2 श्री गोविन्दा पुत्र मंगला	05-04 00-02 06-01 05-14 02-01

अति
मि अवांस्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर



1.	2.	3.	4.	5.
18.	102/88	229 247 249 292	श्री लोकार पुत्र श्योनाथ	02-00 02-05 00-09 10-18 15-02
18.	99/88	191 192 195 196 197	श्री चौध. रामचन्द्र, लालाराम पुत्रान बिरदा व राम पारी पत्नि भरु हि. 1/4, श्री नारायण नन्दा, पुत्रान नोदा हि. 1/2 भवर्त्तल, कन्ह्यालाल पुत्रान पुन्ना	02-00 00-04 03-09 03-08 01-08 10-00
19.	101/88	228 230 131 232 237 297	श्री भुरा, मंगला पुत्रान धोसा	02-04 00-12 01-06 02-05 01-01 11-02 18-10
20.	100/88	209 210 211 220	श्री धन श्याम पुत्र बुद्धा	00-18 00-16 02-00 02-08 06-02
21.	113/88	291	श्री मन सुख लाल पुत्र गणेश	04-03
22.	92/88	119 121 122 123	श्री धोसा पुत्र बिरना हि. 1/2 श्री मोती पुत्र श्योबका हि. 1/2	04-12 00-14 00-15 02-12 08-13
23.	82/88	85 266 267 268 269 270 272	श्री रमेश चन्द्र पुत्र उमराव सिंह जाति जाति बहीर	00-03 05-14 05-14 05-14 07-01 05-18 07-00 48-07
24.	88/88	95 96 98 99 104 114 164 207 208 221 225 115	श्री चन्दा पुत्र होरा	00-05 00-11 00-02 03-07 00-09 03-06 06-08 00-19 01-19 01-14 00-14 00-02 69-16

श्री अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

1992

⑥

क्र०सं० १० मु०नं० ॥ ६८४८ सं० न० २९७ : श्री रामदेव, श्री कालु पुत्रान चन्दा
सोताराम व बाबू लाल पुत्रान श्री काना के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि
अवाप्ति अधिनियम की धारा ६ के गजट नोटिफिकेशन में हे ग्राम गोकुल
पुरा तहसील जयपुर में अंकित है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की
धारा ९ व १० के अन्तर्गत नोटिस दिनांक ९.४.९१ को तामोल कुनिन्दा
को दिया गया । तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस की
तामोल व्यस्क सदस्य पर करवाई गयी इसके उपरान्त कोई उपस्थित नहीं
हुआ जिस पर धारा ९ व १० का नोटिस दिनांक ९.४.९१ को द्वारा
रजिस्टर्ड ए.डी. व दिनांक ७.५.९१ के दैनिक नव भारत टाइम्स व
दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में प्रकाशन करवा ~~000000000000~~ गया
बावजूद सातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। अतः सातेदारान/हितदारान
न के किन्हीं एक तरफ़ा कार्यवाही अमल में लाई गयी ।

श्रील प्रवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
नगरपुर

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 234, 238
रकबा कुमरः । बीघा 16 बिस्वा, । बीघा 18 बिस्वा श्री उमराव,
रामपाल पितानारायण लाल यादव के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि
अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान
को नोटिस दिया गया है । तामील कुनिन्दा को हल्फोया रिपोर्ट

अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कावेदारान/चित्तारान को नोटिस जारी करवाया गया : इसके उपरान्त धारा 9 एवं 10 के नोटिस रजिस्ट्रीकरण द्वारा के दिनांक 5-4-91 जारी किये गये। जिसमें दिनांक 29-4-91 को अन्तिमता से उपस्थित होना था। इसके अन्तर्गत कावेदारान/चित्तारान को धारा 9 एवं 10 के नोटिस अन्तर्गत पत्र पत्र भारत हाईकोर्ट के दिनांक 7-5-1991 को प्रकाशन कराया गया। जिसमें दिनांक 15-5-1991 को अन्तिमता से उपस्थित होना था। नोटिस जारी के अन्तर्गत नोटिस जारी के अन्तर्गत कावेदारान/चित्तारान अनुपस्थित रहे : अतः कावेदारान/चित्तारान के विरुद्ध एक एक कार्यवाही अन्त में लाई गई :

प्रमाण 3 मुद्दा नं० 103/88, धारा नम्बर 202
 प्रमाण 3 मुद्दा नं० 103/88, धारा नम्बर 202

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में ग्राम गोकुलपुरा

लखनौ जयपुर में धारा नम्बर 202 रजि. 4 बी. 13 बिस्वा की राह पुन भारत के नरम दर्जे में : केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 5-4-1991 को जारी किये गये। लखनौ अधिनियम की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कावेदारान/चित्तारान ने को से अन्तर्गत किया : अतः नोटिस अन्तर्गत किया : इसके अन्तर्गत कावेदारान/चित्तारान को रजि. पं० 103/88 द्वारा धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये। इसके उपरान्त कावेदारान/चित्तारान को 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन केन्द्र नरम दर्जे व नरम भारत हाईकोर्ट के अधिनियम से 7-5-91 सूचित किया गया। अन्तर्गत उपरोक्त नोटिस लखनौ के कावेदारान/चित्तारान अनुपस्थित रहे। अतः कावेदारान/चित्तारान के विरुद्ध एक एक कार्यवाही अन्त में लाई गई।

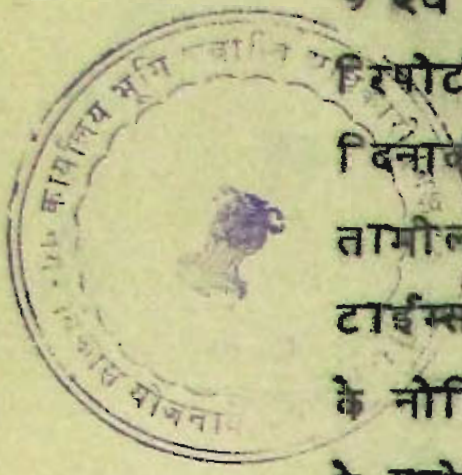
प्रमाण 4 मुद्दा नं० 95/88, धारा नं० 169
 प्रमाण 4 मुद्दा नं० 95/88, धारा नं० 169

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में धारा नम्बर 169 रजि. 1 बी. 3 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा लखनौ जयपुर में राह पुन भारत दि. 1/2 व नारायण, श्री कल्याण, गोपाल पितारान लखनौ बिस्वा



जां 7/6

भूमि अधिग्रहण अधिनियम
 लखनौ जयपुर



हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान को तामील कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 5-4-1991 को तामील कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए0डी के द्वारा तामील कराये गये। इसके 8 उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव भारत टाइम्स, नव ज्योति समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस तामील कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदार/हितधारी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

111/88
क्र0सं05 मुकदमा नं. 8 खसरा नं. 286 व 287

धारा 6 के गजट नोटिसफरान में ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर के स.नं. 286 रकबा 3 बीधा 07 बिस्वा व 287 रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा श्री महादेव पुत्र किशना के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिससे तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार श्री हरिनारायण जोकि इनके परिवार का सदस्य हैं उसे तामील कराई गई। इसके उपरान्त दिनांक 5-4-1991 को रजिस्टर्ड ए0डी0 तथा दिनांक 7-5-1991 को नव भारत टाइम्स व नव ज्योति समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 का नोटिस तामील कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारा/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र0सं06 मुकदमा सं0 107/88 स.नं. 281

धारा 6 के गजट नोटिसफरान में खसरा नं. 281 रकबा 7 बीधा 10 बिस्वा श्री रामपाल, श्री काना, श्री हनुमान, पुत्रान श्री बक्सा के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 5-4-91, को तामील कुनिन्दा एवं रजि0 ए0डी0 द्वारा तामील कराये गये। तामील कुनिन्दा ने हितधारान की नोटिस के 000000 तामील कराये। इसके पश्चात 7-5-1991 को

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

नव भारत टाइम्स व नव ज्योति समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 का नोटिस तामोल कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खातेदार/हितधारी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान्/हितधारान् के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र०सं० 7 मु०नं० 86/88 ख०नं० 90, 91

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 90 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा श्री भूरा, मंगला पुत्रान श्री श्योनाथ के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधि-
नियम को धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा तामोल कराये गये। तामोल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया। अतः नोटिस चस्पा किया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति एवं नव भारत टाइम्स के माध्यम से नोटिस धारा 9 एवं 10 के नोटिस तामोल कराये गये। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खातेदारान्/हितधारी अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान्/हितधारान् के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र०सं० 8 मु०नं० 110/88 ख०नं० 284

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 284 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा ग्राम बलसमपुर तहसील जयपुर में श्री अ जीतर पुत्र नाथ व श्री सूरडा पुत्र श्री भेरु जाति बलाई के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधि-
नियम को धारा 9 एवं 10 का नोटिस दिनांक 5-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा तामोल कराये। तामोल कुनिन्दा को रिपोर्ट के अनुसार श्री हरि नारायण को तामोल कराया गया जोकि परिवार का सदस्य है। जिसमें दिनांक 29-4-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। तथा दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स के माध्यम से नोटिस तामोल कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खातेदार/हितधारान् अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान्/हितधारान् के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

भूमि अधि-
नियम विकास योजनाएं
जयपुर

के अनुसार नोटिस को तामील परिवार के व्यक्त सदस्य को दे कर करवायी गयी जिस पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके उपरान्त दिनांक 5.4.91 को द्वारा तामील कुनिन्दा नोटिस तामील करवाया गया। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नोटिस को तामील परिवार के व्यक्त सदस्य पर करवायी गयी एवं दिनांक 5.4.91 को द्वारा रजि. ए.डी. धारा 9 व 10 के नोटिस तामील करवाये गये जो पोस्ट मेन की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लेने से इन्कार किया इस पर दिनांक 7.5.91 को दैनिक नव ज्योति एवं नव भारत टाइम्स में प्रकाशन करवाया गया। बावजूद इसके छातेदारन/हितदारन उपस्थित नहीं हुये। अतः छातेदारन/हितदारन के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

क्र. सं. 12 मुकदमा नं. 96/88 खसरा नं. 183

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा सं. 183 रकबा 1 बी. 10 बिस्वा श्री नारायण, जखदीश, रामु; पुत्रान मोन्दा हि. 1/2 रमसी पुत्र हुक्मा हि. 1/4 बाबु लाल पुत्र प्रभु हि. 1/4 ग्राम गोकुल पुरा तह. जयपुर में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 27.8.90 को द्वारा तामील कुनिन्दा तामील करवाये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फोया रिपोर्ट के अनुसार उक्त नोटिस छातेदारन/हितदारन को स्वयं को दे कर तामील करवाये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ इस पर पुनः दिनांक 5.4.91 को द्वारा तामील कुनिन्दा नोटिस दिया गया। तामील कुनिन्दा की हल्फोया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस छातेदारन/हितदारन के परिवार के व्यक्त सदस्य को दे कर तामील करवाया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ इस पर दिनांक 5.4.91 को द्वारा रजि. ए.डी. धारा 9 व 10 के नोटिस दिये गये जो पोस्टमेन/डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार लेने से इन्कार किया। तत्पश्चात दिनांक 7.5.91 को दैनिक नव भारत टाइम्स दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया। बावजूद इसके छातेदारन/हितदारन अनुपस्थित रहे। अतः छातेदारन/हितदारन के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

भूमि अधिस्ति अधिकारी
नगर विकास अधिकारी
जयपुर

क्र. सं. 13 मुकदमा नं. 117/88 खसरा नं. 299

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 299 रकबा 3 बिधा 11 बिस्वा गणेश पुत्र डालू कौम ब्राह्मण ग्राम गोकुल पुरा तह. जयपुर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 5.4.91 को नोटिस दिया गया जो तामील कुनिन्दा को हल फोया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के परिवार के व्यक्त सदस्य को नोटिस की प्रति दे कर तामील करवाया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसके उपरान्त दिनांक 5.4.91 को द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. धारा 9 व 10 के नोटिस दिये गये जेहे डाकधर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने नोटिस लेने से इन्कार किया तत्पश्चात दिनांक 7.5.91 को दैनिक नव भारत टाईम्स व दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया। बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के अमल में लाई गयी।

क्र. सं. 14 मुकदमा नं. 115/88 खसरा नं. 296

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 296 रकबा 8 बी. 9 बि. सुरिया, समीसर, भगवाना, सीताराम, पुत्रान रामनाथ बाति राणा ग्राम गोकुलपुरा तह. जयपुर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिये गये जो तामील कुनिन्दा को हल फोया रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 5.4.91 को परिवार के व्यक्त सदस्य पर तामील करवाये गये। परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ इस पर दिनांक 5.4.91 को रजि. ए. डी. द्वारा धारा 9 व 10 के नोटिस दिये गये जो डाकधर की रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान ने लेने से इन्कार किया तत्पश्चात दिनांक 7.5.91 को दैनिक नव ज्योति एवं नव भारत टाईम्स समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के अमल में लाई गयी।

भूमि अधिस्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्र.सं. 15 मुकदमा नं. 83/88 खसरा नं. 86, 253, 265

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 86 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 253 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 265 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा श्री किशन लाल पुत्र श्री देवबक्श, कन्हैया लाल पुत्र देवबक्श, बलदेव पुत्र देव बक्श, गंगा राम पुत्र देव बक्श ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत धातेदारान/हितधारान को नोटिस दिये गये जो तामोल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार धातेदार ने लेने इन्कार कर दिया। इसके उपरान्त दिनांक 5-4-91 को पुनः तामोल कुनिन्दा, रजि० ए०डी० द्वारा धारा 9 एवं 10 के नोटिस जारी किये गये। रजि० ए०डी० जारी किये गये पोस्टमेन की रिपोर्ट के अनुसार लेने से इन्कार किया की रिपोर्ट को है। इसके पश्चात दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति, नव भारत टाइम्स में धारा 9 एवं 10 का नोटिस का प्रकाशन कराया गया। बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः धातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही जमल में लाई गयी।

क्र.सं. 16 मु० नं० 87/88 ख.नं. 94, 97, 162, 163, 167

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 94 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 97 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 162 रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 163 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 167 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री चन्दा पुत्र होरा हि. 1/2, राम सहाय पुत्र गेविन्दा हि. 1/4, बदरी पुत्र गुल्सा हि. 1/4 के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजि० ए०डी० द्वारा तामोल करवाये गये। तामोल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट में नोटिस परिवार के सदस्य को तामोल कराया गया। पोस्ट में अपनी रिपोर्ट में उक्त किया कि लेने से इन्कार किया। तत्पश्चात दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र में धारा 9 एवं 10 का नोटिस का प्रकाशन कराया गया। बावजूद नोटिस तामोल के कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः धातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही जमल में लाई गई।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम
नगर विकास अधिनियम
जयपुर

क्र.सं. 17 मु0सं0 102/88 , ख.नं. 229, 247, 249, 292

धारा 6 के ख गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 229 रकबा 2 बीधा, 247 रकबा 2 बीधा 5 बिस्वा, 249 रकबा 9 बिस्वा, ख.नं. 292 रकबा 10 बीधा 18 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री चौकार पुत्र श्योनाथ के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजि0 ए0डी0 द्वारा नोटिस जारी किया गया। तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस परिवार के सदस्य को तामोल कराया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स के माध्यम से धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। जिसमें 15-5-1991 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस तामोल के कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः सातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र0सं0 18 मु0नं0 99/88 , ख.नं. 191, 192, 195, 196, 197

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं0 191 रकबा 2 बीधा 192 रकबा 4 बिस्वा, 195 रकबा 3 बीधा 9 बिस्वा ख.नं. 196 रकबा रकबा 3 बीधा 6 बिस्वा, ख.नं. 197 रकबा 1 बीधा 1 बिस्वा हैं ग्राम गोकुलपुरा तह0 जयपुर में श्री चौधू, रामचन्द, लाला, पुत्रान बिरदा, व राम प्यारी पत्नि भेरु हि. 1/4, नारायण, नान्दा पुत्रान नोदा हि. 1/2, भवर लाल, कन्हैयालाल पुत्रान मन्ना हि. 1/4 जाति कुम्हार के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-1991 को नोटिस तामोल कुनिन्दा व रजि0 ए0डी0 द्वारा जारी किये गये। तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस के पोछे रिपोर्ट की है कि नोटिस हितधारो के परिवार के सदस्य को तामोल कराया गया। पोस्ट में ने रिपोर्ट की है कि इस नाम का कोई आदमी नहीं है। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स में धारा 9 एवं 10 नोटिस का प्रकाशन कराया गया। जिसमें 15-5-1991 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस तामोल के कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः सातेदारान/हितधारो के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

भूमि अधिस्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्र०सं० 19 मु०नं० 101/88, ख०नं० 224, 230, 231, 232, 237, 293

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 228 रकबा- 2 बीघा 3 बिस्वा, ख०नं० 230 रकबा 12 बिस्वा, ख०नं० 231 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख०नं० 232 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख०नं० 237 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख०नं० 293 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्री भूरा, मंगला पुत्रान धोसी लाल के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि० ए०डी० द्वारा तामील कराये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट है कि खातेदारान के परिवार के सदस्य ठीक व्यापक व्यवस्था को तामील करा दिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से धारा 9 एवं 10 का नोटिस तामील कराया गया। जिसमें दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होना था। बावजूद नोटिस तामील के कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र०सं० 20 मु०नं० 100/88, ख०नं० 209, 210, 211, 220

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख०नं० 209 रकबा 18 बिस्वा 210 रकबा 16 बिस्वा, ख०नं० 211 रकबा 2 बीघा, ख०नं० 220 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा श्री धन श्याम पुत्र लच्छा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत दिनांक 5-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजि० ए०डी० द्वारा तामील कराया गया। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया। जिसे चस्था किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स के माध्यम से तामील कराया गया। जिसमें दिनांक 15-5-91 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये जारी किया। बावजूद नोटिस तामील के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।



भूमि अधिग्रहण अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

क्र. सं. 200 मुकदमा नं. 113/88 खसरा नं. 291

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 291 रकबा 4 बी.3 बि. श्रीमल्ल राम पुत्र गणेश ग्राम गोकुल पुरा त. जयपुर में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जो तामोल कुनिन्दा की हल्फनामा रिपोर्ट के अनुसार नोटिस परिवार के व्यक्त सदस्य एवं चरवांदाओं से तामोल करवाया गया जिस पर कोई खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए इसके उपरान्त दिनांक 20.4.91 को रजि. ए. डी. के द्वारा नोटिस दिया गया जिस पर डाकधर की रिपोर्ट के अनुसार इस काम का कोई नहीं है रजि. ए. डी. लौटायी गयी जिस पर दिनांक 7.5.91 को नव भारत टाइम्स व दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। बावजूद इसके कोई खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

क्र. सं. 220 मुकदमा नं. 91 खसरा नं. 119, 121, 122, 123,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन नं. खसरा नं. 119, 121, 123, 122 रकबा कुमशः 4 बी. 12 बि., 14 बि, 15 बि, व 2 बी. 15 बिस्वा धीसा पुत्र किशना ही. 1/2 मोसी पुत्र श्योबक्स हि. 1/2 कोम बलाई ग्राम गोकुल पुरा तह. जयपुर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसको तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 5.4.91 को उक्त नोटिस परिवार के व्यक्त सदस्य को दे कर तामोल करवाया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ इस पर दिनांक 5.4.91 को द्वारा रजि. ए. डी. धारा 9 व 10 के नोटिस दिया गया जो लौट कर प्राप्त नहीं और न ही खातेदार/हितदार उपस्थित हुये इसके उपरान्त दिनांक 7.5.91 को दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति में धारा 9 व 10 का नोटिस का प्रकाशन किया गया। बावजूद इसके खातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुये। अतः खातेदार/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

क्र.सं. 23 मुकदमा नं. 88/88 खसरा नं. 95, 96, 98, 99, 104, 114, 164, 207, 208, 221, 225, 115

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 95, रकबा 5 बिस्वा 96 11 बिस्वा 98 2 बिस्वा 99, 3-07, 104, 9 बिस्वा 114 में 3-06 बि. 164 में 6-8 207 में 19 बिस्वा, 208 में 1-19 बिस्वा व 221 में 1-14 बिस्वा व 225 में 14 बिस्वा व 115 में 2 बिस्वा भूमि गोकुलपुरा तहसील जयपुर में ~~बर्जश्रीमश्री~~ चन्दा पुत्र होरा जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के दिनांक 5-4-1991 को तामोल कुनिन्दा व रजि० ए० डी० ० द्वारा जारी कीये गये। तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया। अतः नोटिस चस्पा किया गया। पोस्ट मेन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खातेदारान ने नोटिस लेने से इन्कार किया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-91 को नोटिस धारा 9 एवं 10 का नव ज्योति व नव भारत टाइम्स के माध्यम से प्रकाशन कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

क्र०सं० 024/मु०नं० 82/88, ख.नं. 85, 266, 267, 268, 269, 270, 272

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 85 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, ख.नं. 266 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 267 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 268 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, 269 रकबा 7 बीघा 01 बिस्वा, 270 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा ख.नं. 272 रकबा 7 बीघा ग्राम गोकुलपुरा तह० जयपुर में दर्ज हैं। केन्द्रीय भूमि अधिस्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक 5-4-91 को तामोल कुनिन्दा व रजि० ए० डी० ० द्वारा जारी कीये गये। तामोल कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार खातेदार ने लेने से इन्कार कर दिया। पोस्टमेन की रिपोर्ट में लिखा कि खातेदारान ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। इसके उपरान्त दिनांक 7-5-1991 को नव ज्योति व नव भारत टाइम्स में धारा 9 एवं 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया। बावजूद उपरोक्त नोटिस तामोल के खातेदारान/हितधारान अनुपस्थित रहे। अतः खातेदारान/हितधारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

भूमि अधिस्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

केन्द्रीय भूमि अधिनियम को धारा 98 के अन्तर्गत उपरोक्त
मुद्रांकन में लाया गया नोटिस भी सामान्य धर्माधार द्वारा सम्बन्धित/प्राप्त
नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व बरखा कराये ग
ये जो दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये ।

मुद्रांकन-निर्धारण:-

जहाँ तक उपरोक्त द्वारा नम्बरान के आलेखान/हितधारान को
मुद्रांकन निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफ कार्यवाही
होने के कारण एवं आलेखान/हितधारान द्वारा कोई कोम पैस नहीं करने के
कारण आलेखान/हितधारान को और से मुद्रांकन राशि मांग का कोई
प्रश्न नहीं उत्पन्न ।

लेकिन मुख्य सदस्यों के लिहाज से के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास
प्रधिकरण जिसके लिए भूमि अधिनियम को जारी है का भी पता चल
किया गया जयपुर विकास प्रधिकरण के सचिव ने अपने पत्र दिनांक 20-4-91
91/336 दिनांक 5-6-91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के
नोटिफिकेशन के समय ग्राम जलनपुरा में 200000/- प्रति बीघा के अनुसार
भूमियों का प्रयोजन हुआ था इसलिये जहाँ तक इनके पक्ष का संबंध है यह दर
उचित है । हमने इस संबंध में उप पी.जे.ए. एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर
के यहाँ से अपने पत्र पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह बात हुआ कि
धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि दर इसके अधिक नहीं थी तहसीलदार
जयपुर विकास प्रधिकरण 111 में भी अपने मु. बो. नोट दिनांक 8-5-91
द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की किंमत
दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी केस के आसपास की
भूमि का मुद्रांकन राशि 24,000/- प्रति बीघा को दर से अर्वाह जारी
किये गये जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है जयपुर
विकास प्रधिकरण के अभिभावक श्री डे.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर
नहीं दे कर मोरिस क्ले से यह निवेदन किया कि यदि मुद्रांकन राशि
24,000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास
प्रधिकरण को कोई आनति नहीं है । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी उसी
न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के केस में 24,000/- प्रति बीघा की
दर से अर्वाह पारित किये गये है ।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुद्रांकन राशि 24,000/-
रु. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित माना है एवं हम यहाँ भी
मानते हैं कि धारा 4 के मुद्रांकन नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही
थी । केन्द्रीय भूमि अधिनियम के अन्तर्गत अर्वाह पारित

पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयवधि निम्न है लेकिन आलेखान/हित-
धार द्वारा कोई कोम पैस नहीं किया गया है इसलिये एक तरफ कार्यवाही
अमल में लाई गई है ।

जहाँ तक पैड़, बीघ, लड़के हुए एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर
का प्रश्न है आलेखान द्वारा कोई सम्मोना पैस नहीं किया गया और
ना ही



भूमि अधिपति अधिकार
नगर विकास योजना
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकनीकें पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्स यदि कोई हो तो उनके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। जिसका निर्धारण बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी एवं अनुमोदित तकनीकें प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जाएगा।

हम इस मुम के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रु. प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का कुलान विधिकत्व से मानिकाना एक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जाएगा। मुआवजे का निर्धारण परिसिस्ट 28 के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग का निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय मुम अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1)-ए एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% लोलेक्षियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिसिस्ट 28 में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक [पृथक] एवं तत्काल अधिकारी नगर मुम एवं कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराजनगर योजना के तहत 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सीमित है एवं अन्तर अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अन्तर अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवायी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय मुम अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया जा रहा है।

यह अवार्ड आज दिनांक 7.6.91 को पारित की राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

मुम अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजना, जयपुर।
नगर विकास योजनाएं

आज दिनांक 20-7-91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 9-6(15) नवीका/87/परि दिनांक 19-7-91 के द्वारा ठीकाई की अनुमोदित होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आज दिनांक 20-7-91 को ठीकाई स्वीकृत हुआ सुनाया गया।

मुम अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

अतिरिक्त 'ए' ग्राम गौकुलपुरा

क्र.सं.	राजदार का नाम	खसरा नं.	रकबा बो. वि.	भूमि का मूल्यांकन रु. 000 दर	भूमि के मूल्यांकन की राशि	सोनिमियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल राशि	वि.वि.
1.	श्री रामेश्वर, रामनारायण मुन्नालाल/बो. वि. अधि पुस्तोतम पु. राधिका	252	6-00	24,000/-	1,44,000.00	43,200.00	50,447.00	2,37,207.00	
2.	श्री भूरा पुत्र सुज्या	165	4-13	..	1,17,600.00	35,280.00	41,120.00	1,93,999.00	
3.	श्री राहु पु. भूरा	282	4-02	..	98,400.00	29,520.00	34,502.00	1,62,422.00	
4.	श्री डाह पु. कुला	162	1-05	..	30,000.00	9,000.00	10,509.86	49,509.86	
5.	श्री नारायण, कल्याण, गोपाल पुत्र मोती 1/2	286 287	3-07, 5-01 1-14	00000000	1,21,200.00	36,360.00	42,459.84	2,00,019.84	
6.	श्री रामपाल, काना, कुमाना पुत्रान वसा	201	7-10 7-00	0000..	1,60,000.00	54,000.00	63,059.17	2,97,059.17	
7.	श्री भूरा, काना पुत्रान श्यामनाथ जाति कलाई	90 91	4-17 6-02	10-19 ..	2,62,800.00	78,840.00	92,066.00	4,33,706.00	
8.	श्री जीत पुत्र नाथ, सुडा	284	4-19	..	1,18,800.00	35,640.00	41,619.00	1,96,059.00	

कुल मूल्य 10.00 लाख



भूमि मूल्यांकन अधिकारी
नगर विकास योजनाएं, जयपुर ।
जयपुर

135

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9. श्री पीलीताड पुत्र लुआ श्रीमतीकुली देवी परना लुआ	285	05-10	1,41,600/-	49,606.55	42,400/-	2,33,606.55	
10. श्री रामदेव, कात, पुत्र चन्दा, सीता राम, बाबूलाल पुत्र काना	297	05-10	1,32,000/-	46,243.00	39,600/-	2,17,843.39	
11. श्री उमराव, रामपाल पुत्र नारायण	234 238	01-16 01-16 03-14	88,800/-	31,189.00	26,640/-	1,46,549.19	
12. श्री नारायण, जगदीश राम पुत्रान नाराहि हि. 1/2 श्री रमती पुत्र हुक्मा 1/4 श्री बाबूलाल पुत्र प्रभु हि. 1/4	183	01-10	36,000/-	12,611.00	10,800/-	59,411.00	
13. श्री गणेश पुत्र डालु	299	03-11	85,200/-	29,848.00	25,560/-	1,40,608.01	
14. श्री सुर्या, लमीतर, भगवाना सीताराम पुत्रान रामनाथ	296	03-09	82,800/-	29,007.82	24,840/-	1,36,647.22	
15. श्री गंगाराम, बलदेव श्री किशन, कन्हैयालाल पुत्रान देवदत्त	86 253 265	05-06 00-02 17-12	5,52,000/-	1,93,381.00	1,65,600/-	9,10,981.00	



भूमि जवाबदारी अधिकारी
सम. विकास योजनाएं
जयपुर

3	4	5	6	7	8
16. पुष्पा पुन ही रा/मोदिम्या पुन मेला 1/4	94 697 162 163 167	05-04 00-02 06-01 05-14 02-01 22-02	3,30,400/-	1,65,614/-	1,57,120/- 8,75,334.37
17. श्री ओजस पुन इवोनाथ	229 247 249 292	02-00 02-03 00-09 10-18 15-12	3,74,400/-	1,31,163/-	1,12,320/- 5,17,803.00
18. श्री चौधू, रामधन्, लालराम पुमान विरदा व रामधारी हि. वि. 1/4, नारायण नाम्दा पुमान नौज हि. 1/2 श्री मेर लाल, कन्देवा लाल पुमान पुम्ना हि. 1/4	191 192 195 196 197	02-00 00-04 03-09 03-06 01-01 10-02	2,42,400/-	84,720/-	72,780/- 4,00,040.00
19. श्री सुरा, पंम्ना पुन पीली	226 230 131 232 237 297	02-04 00-12 01-06 02-05 01-01 11-02 10-10	4,44,000/-	1,33,546/-	1,33,200/- 7,32,746.00



र सहायि वणिकारी
सम विमल मोनार्
जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	श्री अमर्याम पुत्र कुंदा	209 210 111 220	00-18 00-16 02-00 02-08 06-02	1,46,400/-	51,271.80	43,920/-	2,41,591.80
21.	श्री मन्सुख लाल पुत्र गणेश	291	04-03	99,600/-	34,893.00	29,880/-	1,64,373.00
22.	श्री घीसा पुत्र विष्णु हि 1/2 श्री मोती पुत्र श्यामल हि 1/2	119 121 122 123	04-12 00-14 00-15 02-12 06-13	1,59,600/-	55,912.00	47,880/-	2,53,392.00
23.	श्री रामो चन्द पुत्र श्री उमराव लाल उदीर	85 266 267 268 269 270 272	11-03 05-14 05-14 05-14 07-01 05-18 07-00 37-01	8,89,200/-	3,11,512.00	2,66,760/-	14,67,472.00
24.	श्री चन्दा पुत्र हीरा	95 96 98 99 104 114 164 207 208 221 225 115	00-05 00-11 00-02 03-07 00-09 03-06 06-08 00-19 01-19 01-14 00-14 00-02 19-16	4,75,200/-	1,66,476.00	1,42,560/-	7,84,236.00



भूमि प्रचालित अधिकारी
तमर विकास योजनाएँ
जयपुर

नोटि: 1. लोडिंग 30% काजम सं 05 पर मुजावला राशि पर दिया गया है।
2. अतिरिक्त राशि 12% की गणना द्वारा 4.12 का गजब दिनांक
7-7-1988 से 12-6-1991 तक छे पर की गई है।

130